छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

22 JAN 2016

क्रमांक–एफ–2-8–/सात–2/2016, नया रायपुर, दिनांक जनवरी, 2016

प्रति,

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर्स
छत्तीसगढ़ ।

विषय : विशेष पिछड़ी जनजातियों को जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत ।

––00––

माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 12.12.2015 प्रदेश मे निवासरत 07 विशेष पिछड़ी जनजातियों क्रमशः बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अबूझमाड़िया, पंडो तथा भुंजिया के समेकित विकास हेतु **''ग्यारह सूत्रीय कार्यक्रम''** की घोषणा की गई है । उक्त ग्यारह सूत्रों में से एक सूत्र **''क्रमांक–10–जाति एवं निवास प्रमाण पत्र का वितरण''** राजस्व विभाग से संबंधित है । जिलेवार विशेष पिछड़ी जनजातियों की सूची नीचे संलग्न है ।

2. आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा जारी निर्देशों के तहत उक्त विशेष पिछड़ी जनजातियों को आगामी 2 वर्षो में अर्थात 2016–17 एवं 2017–18 की अवधि में शत–प्रतिशत जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाना है । यह कार्य आप निरंतर करते हुये चले आ रहे हैं । ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग से संबंधित जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रदाय करने संबंधी कार्य के लिये 2 वर्ष की आवश्यकता नहीं है। सीमित परिवार की संख्या को देखते हुये यह कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण किया जा सकता है ।

3. जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रदाय करने में यदि आंशिक व्यय संभावित हो, तो इसकी प्रतिपूर्ति विभिन्न विभागों के द्वारा जनजातियों के लिये संचालित योजनाओं के कन्वरजेंस से वित्तीय व्यवस्था की जा सकती है । यदि यह संभव न हो, तो विकास प्राधिकरणों से उक्त राशि प्राप्त की जा सकती है । तात्पर्य यह है, कि उक्त कार्य के लिये विभाग द्वारा पृथक से कोई बजट आबंटन नहीं किया जायेगा । संभावित व्यय की प्रतिपूर्ति कन्वरजेंस से की जाये ।

4. अतः यह निर्देशित किया जाता है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषित **''ग्यारह सूत्रीय कार्यक्रमों''** में से सूत्र क्रमांक–10 **''जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रदाय''** करने संबंधी कार्य को आगामी 6 माह के भीतर पूर्ण किया जावे । यदि उक्त कार्य के लिये बजट की आवश्यकता हो, तो चालू विभागीय योजनाओं से उसकी प्रतिपूर्ति की जाये ।

5. सभी संभागीय आयुक्त अपने संभाग में उक्त कार्य की प्रगति की समीक्षा करें तथा आगामी 6 माह के भीतर कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(के.आर.पिस्दा)
सचिव 22/1/2016
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

पृ.क्र.–एफ–2-8 /सात–2/2016 नया रायपुर, दिनांक 22 JAN 2016 जनवरी, 2016

प्रतिलिपिः

1. सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छ.ग. रायपुर ।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

सचिव 22/1/2016
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जिलेवार विशेष पिछड़ी जनजातियों की सूची

कमांक	पी.वी.टी.जी का नाम	जिला	ग्राम संख्या	कुल परिवार	कुल जनसंख्या
1.	कमार	गरियाबंद, धमतरी, महासमुन्द, कांकेर	429	5542	23288
2.	बैगा	कबीरधाम, बिलासपुर, कोरिया, राजनांदगांव, मुंगेली	522	16675	71862
3.	पहाड़ी कोरवा	सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बलरामपुर	404	9067	37472
4.	बिरहोर	रायगढ़, जशपुर, बिलासपुर, कोरबा	82	800	3034
5.	अबूझमाड़िया	नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर	201	3895	19401
6.	पण्डो	सूरपुर, बलरामपुर, सरगुजा	363	6746	31814
7.	भुंजिया	गरियाबंद, धमतरी	106	1606	7199
		कुल	**2107**	**44331**	**194070**